

कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद (छ0ग0)

// सूचना पत्र //

क्रमांक 72/DeGS/CSC/2015

महासमुन्द, दिनांक 04 /04 /2015


प्रति,

.....
.....
.....

विषय :- सामान्य सेवा केन्द्र (CSC) के संचालकों के नवीनीकरण हेतु।

विषयांतर्गत लेख है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूर्व में आपके द्वारा ZOOM developer Pvt. Ltd. तथा AISECT से अनुबंध कर सामान्य सेवा केन्द्र संचालित किया जा रहा था। चूंकि उक्त दोनों एजेंसी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है चिप्स कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार समस्त सामान्य सेवा केन्द्र (CSC) का संचालन जिला ई गवर्नेंस सोसायटी महासमुन्द के माध्यम से किया जाना है।


अतः आपको आदेशित किया जाता है कि नवीनीकरण हेतु आप संलग्न प्रारूप में आवेदन कर जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 22 में दिनांक 20/04/2015 तक सूचित करें अन्यथा आपको निष्क्रिय मानते हुए सामान्य सेवा केन्द्र (CSC) केन्द्र निरस्त किया जावेगा। नाम एवं स्थान परिवर्तन हेतु तथा नवीनीकरण से संबंधित प्रारूप हेतु आप जिले के वेबसाइट www.mahasamund.gov.in को लॉगइन कर सकते हैं।


अपर कलेक्टर
महासमुन्द

पु. क्रमांक 72/DeGS/CSC/2015
प्रतिलिपि :-

महासमुन्द, दिनांक 04/04/2015

01. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन रायपुर को सूचनार्थ।
02. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, महासमुन्द को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
03. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, महासमुन्द को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


अपर कलेक्टर
महासमुन्द

सामान्य सेवा केन्द्र के संचालक का नाम एवं स्थान परिवर्तन हेतु दिशा-निर्देश

01. यदि किसी सामान्य सेवा केन्द्र का संचालक स्वेच्छा से सामान्य सेवा केन्द्र छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, उस स्थिति में शपथ पत्र द्वारा आपसी सहमति से हस्तान्तरित किया जा सकता है। शपथ पत्र की मूल प्रति जिला कार्यालय महासमुन्द्र में रखकर छायाप्रति चिप्स कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना।

नाम परिवर्तन हेतु दस्तावेज –

01. दोनों पक्षों की सहमति का शपथ पत्र।
 02. नये आवेदक की शैक्षणिक योग्यता।
 03. नये आवेदक का कम्प्यूटर संबंधी अनुभव एवं सर्टिफिकेट।
 04. नये आवेदक का ID एवं Address प्रुफ।
 05. निवास प्रमाण पत्र।
02. यदि किसी सामान्य सेवा केन्द्र को प्रदाय किये गए स्थान से अन्य स्थान में प्रारंभ करने के इच्छुक हैं, उस स्थिति में यदि निवेदन किये गए ग्राम में कोई केन्द्र संचालित नहीं किया जा रहा है, तो नए आवेदक को बदली हुयी जगह पर केन्द्र दिया जा सकता है, आवेदक से ग्राम के स्थानांतरण के लिए नये आवेदन की छायाप्रति चिप्स कार्यालय को प्रेषित किया जाना।

CSC Renewal Form

Name of VLE	
Father/Husband Name	
CSC (vill.) Name	
Block Name	
District Name	
Mobile number	
E-mail Id	
CSC Id	
OMT Registration	Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
Wallet Creation	Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/>

**Paste your
photo**

Premises Details

Room size	Furniture	Electricity	Fan	Remarks

Hardware Details

Particulars	Minimum Requirement	Available (yes/No)	Remarks (If any)
Computers (Multimedia)	P-4,3.0GHZ,800FSB,256 MB DDR SDRAM, 40GB HDD,1.44FDD,52X DVD, Color monitor15", Speaker, KB, Mouse, OS, 3 years warranty		
Printers	One Dot Matrix Printer(24 pin,136column,minimum 280 characters per second)or Laser or inkjet/ Desk Jet Printer		
UPS	Half-an-hour Back-up		
Scanner	High resolution		
Webcam/Digital Camera	1.3 MP, USB 2.0, VGA scanner low light sensor		
Internet Connection	Broadband/others BSNL / Others		
Licensed Operating System S/w	Windows XP/Vista/2007/or Boss Linux Latest Version		

I here with declared that above information are true and best of knowledge. If any information found false DeGS Mahasamund has full right to terminate/cancel my center. After words I shall have no claim from the DeGS Mahasamund on account.

Authorize Signatory

Signature of VLE / Applicant